पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2017 ई० (अग्रहायण 04, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–47

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

06 नवम्बर, 2017

सं० UERC/F-9(11)/RG/UERC/2017/1262—उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 (2003 की 36) के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्ग–दर्शिका) विनियम 2007 (मुख्य विनियम) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन–

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्ग–दर्शिका) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगें।

2. मुख्य विनियम के विनियम 3 का उप–विनियम (5) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

सदस्यों की पदावधि 03 वर्षों के लिये की जायेगी, जो कि अधिकतम 02 वर्षों के लिये विस्तारित की जा सकती है। सदस्यों की नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी तथा सदस्य अधिकतम 68 वर्ष तक की आयु तक पदावदित रहेंगे।

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव।